न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 05 / 2020

राजकुमार अग्रवाल पुत्र ताराचन्द अग्रवाल जाति वैश्य निवासी विमला सदन ,खेरापति मौहल्ला अनाहगेट भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 06.02.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजकुमार अग्रवाल पुत्र ताराचन्द अग्रवाल जाति वैश्य निवासी विमला सदन ,खेरापति मौहल्ला अनाहगेट भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 30.10.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 29 दिनांक 09.01.2020 से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके पत्रांक 144 दिनांक 04.02.2020 से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से वांछित सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी ,राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से संबंधित होने से प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक पी.ए. / आरटीआई / 2020 / 09 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा प्रभारी अधिकारी ,राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को अंतरित कर दिया गया है । उक्त सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने जबाव के साथ उक्त पत्र की प्रति संलग्न की गई है । यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना चाहने हुए दिनांक 30.10.2019 को आवेदन किया गया है जिसका निस्तारण लोक सूचना अधिकारी को 30 दिवस में किया जाना चाहिए था । यदि सूचना उनके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को

नियम 6(3) के तहत 5 दिवस में अन्तरित करते हुए आवेदक को भी सूचित करना होगा । किन्तु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.10.2019 को 3 माह के विलम्ब से प्रभारी अधिकारी ,राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को अन्तरित किया गया है, जिसकी सूचना प्रार्थी को भी नहीं दी गई है । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रकरण में प्रावधानानुसार कार्यवाही न कर स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती गई है । इस कारण प्रार्थी को सूचना समय पर प्राप्त नहीं हो सकी । उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को सावचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो । साथ ही प्रभारी अधिकारी ,राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी ,राजस्व अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.13 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: